इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448] भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर 2021—कार्तिक 24, शक 1943

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2021

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोधन) विनियम, 2021

क्रमांक-एफ-20-3-2019-पच्चीस-3.—भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त विनियम में,—

1. धारा 4 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार" स्थापित किए जाएं.

2. धारा 7 में,—

   (1) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

   "(1) कोई भी साहूकार उधार दिए गए किसी ऋण पर, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से ऊंची दर पर ब्याज प्रभारित नहीं करेगा."

   (2) उप-धारा (2) का लोप किया जाए.

   (3) उप-धारा (3) में, शब्द "उप-धारा (2) के अधीन विहित किए गए प्रभार से अधिक" का लोप किया जाए.

3. धारा 24 में,—

   (1) शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" स्थापित किए जाएं, और

   (2) शब्द "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "एक लाख" स्थापित किए जाएं.

4. धारा 24 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाए, अर्थात्:—

   "24क, अनुज्ञा प्राप्त न करने का प्रभाव—

इन विनियमों की धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी साहूकार द्वारा उधार दिया गया कोई ऋण या उस पर प्रभारित किया गया ब्याज निष्फल तथा अप्रति-संहरणीय होगा और ऐसे ऋण तथा ब्याज के संबंध में विधि के किसी न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही ग्राहा नहीं होगी.''

5. धारा 25 में, उप-धारा (1) में, शब्द ''एक हजार पांच सौ'' के स्थान पर, शब्द ''पच्चीस हजार''स्थापित किए जाए.

आनंदी बेन पटेल
मध्यप्रदेश की राज्यपाल.

Bhopal, the 15th November 2021

The Madhya Pradesh Anusuchit Janjati Sahukar Viniyam (Sanshodhan) Viniyam, 2021

F-20-3-2019-XXV-3 .—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Anusuchit Janjati Sahukar Viniyam, 1972, namely:—

AMENDMENTS

In the said Viniyam,—

1. In section 4, in sub-section (1), in clause (b), for the words "twenty-five", the words "five thousand" shall be substituted.

2. In section 7,—

   (1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

   "(1) No money lender shall charge, on any loan advanced, interest at a rate higher than that notified by the State Government from time to time.".

   (2) sub-section (2) shall be omitted.

   (3) in sub-section (3), the words "charge in excess of that prescribed under sub-section (2)" shall be omitted.

3. In section 24,—

   (1) for the words "six months", the words "two years" shall be substituted, and

   (2) for the words "one thousand", the words "one lakh" shall be substituted.

4. After section 24, the following section shall be inserted, namely:—

Effect of not obtaining of Licence.

"24A. Any loan advanced or inerest charged thereon by a money lender without obtaining a license under Section 3 of these Regulations shall be infructuous and irrecoverable and no legal proceedings shall be admissible in respect of such loan and interest in any court of law.".

5. In section 25, in sub-section (1), for the words "one thousand five hundred", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

ANANDI BEN PATEL
Governor of Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.